भारत सरकार
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग

लोक सभा
तारांकित प्रश्न सं. 26
22 जुलाई, 2025 को उत्तरार्थ

विषय: फसलों की कम कीमत पर बिक्री

***26. श्री सतपाल ब्रह्मचारीः**
श्री चन्द्र प्रकाश चौधरीः

क्या **कृषि एवं किसान कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि हरियाणा, झारखंड तथा जम्मू और कश्मीर सहित देश के विभिन्न भागों में किसानों को अपनी फसल लागत मूल्य से कम मूल्य पर बेचने के लिए बाध्य किया जा रहा है जिससे उनकी आय पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है;

(ख) क्या सभी किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) योजना के अंतर्गत समुचित लाभ मिल रहे हैं, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके विशेषकर झारखंड में क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार किसानों की आय दोगुनी करने की योजना के अंतर्गत फसल बीमा, विपणन सुविधा, भण्डारण और जैविक खेती के क्षेत्रों में कोई विशेष पहल कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री (श्री शिवराज सिंह चौहान)

(क) से (घ): विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

"फसलों की कम कीमत पर बिक्री" के संबंध में लोक सभा में दिनांक 22.07.2025 को पूछे गए तारांकित प्रश्न संख्या 26 के भाग (क) से (घ) के संबंध में उल्लिखित विवरण।

(क) और (ख): सरकार हर साल राज्य सरकारों और संबंधित केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों के विचारों को ध्यान में रखते हुए, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग (सी.ए.सी.पी.) की सिफारिशों के आधार पर पूरे देश के लिए 22 अधिसूचित कृषि फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एम.एस.पी.) तय करती है।

वर्ष 2018-19 के केंद्रीय बजट में एम.एस.पी. को उत्पादन लागत का डेढ़ गुना बनाए रखने के पूर्व-निर्धारित सिद्धांत की घोषणा की गई थी। तदनुसार, सरकार ने वर्ष 2018-19 से अखिल भारतीय भारित औसत उत्पादन लागत पर न्यूनतम 50 प्रतिशत लाभ के साथ सभी अनिवार्य खरीफ, रबी और अन्य वाणिज्यिक फसलों के लिए एम.एस.पी. में वृद्धि की थी।

सरकार निर्धारित खरीद एजेंसियों के माध्यम से कृषि फसलों की खरीद करने की पेशकश करती है और किसानों के पास अपनी उपज को सरकारी एजेंसियों को या खुले बाजार में बेचने का विकल्प होता है, जो भी उनके लिए फायदेमंद हो।

बढ़ी हुई एम.एस.पी. से झारखंड के किसानों सहित पूरे देश के किसानों को लाभ हुआ है, जो खरीद के डेटा और किसानों को भुगतान की गई एम.एस.पी. राशि से स्पष्ट है। चालू वर्ष सहित पिछले पांच वर्षों के दौरान खरीद और किसानों को भुगतान की गई एम.एस.पी. राशि का विवरण निम्नानुसार है:

<u>एम.एस.पी .फसलों की खरीद और एम.एस.पी .राशि</u>

सभी एम.एस.पी. फसलें	**2020-21**	**2021-22**	**2022-23**	**2023-24**	**2024-25***
कुल खरीद (एलएमटी में)	1,368	1,083	1,118	1,089	1,175
कुल एम.एस.पी. राशि (लाख करोड़ में)	2.91	2.25	2.47	2.63	3.33

*दिनांक 30.06.2025 तक की स्थिति के अनुसार

(ग) और (घ): किसानों के लाभ के लिए, सरकार ने कई पहलें की हैं जिनमें प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना(पी.एम.एफ.बी.वाई.)/रिस्ट्रक्चर्ड वेदर बेस्ड क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम (आर.डब्ल्यू.बी.सी.आई.एस.), एग्री इन्फ्रास्ट्रक्चर फंड (ए.आई.एफ.), मार्केटिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर और जैविक खेती को प्रोत्साहित करने हेतु परंपरागत कृषि विकास योजना (पी.के.वी.वाई.) शामिल हैं। इनका विवरण निम्नानुसार है:

- **प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना/रिस्ट्रक्चर्ड वेदर बेस्ड क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम (आर.डब्ल्यू.बी.सी.आई.एस.)**– सरकार ने प्राकृतिक आपदाओं, प्रतिकूल मौसम से होने वाली फसल हानि/क्षति से पीड़ित किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करने और किसानों की आय को स्थिर करने के लिए खरीफ 2016 से उपज आधारित प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और रिस्ट्रक्चर्ड वेदर बेस्ड क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम (आर.डब्ल्यू.बी.सी.आई.एस.) शुरू की है। इस योजना के तहत बुवाई-पूर्व से लेकर कटाई के बाद तक के नुकसान के लिए व्यापक जोखिम बीमा प्रदान किया जाता है।
- **एग्री इन्फ्रास्ट्रक्चर फंड (ए.आई.एफ.):** 1 लाख करोड़ रुपये के फंड के साथ एक समर्पित वित्तपोषण सुविधा शुरू की गई है, जिसका उद्देश्य वेयरहाउस, कोल्ड स्टोरेज, सॉर्टिंग/ग्रेडिंग यूनिट और प्राइमरी प्रोसेसिंग सेंटर्स सहित पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट इन्फ्रास्ट्रक्चर के निर्माण में सहायता करना है।

- एकीकृत कृषि विपणन योजना (आई.एस.ए.एम.) के अंतर्गत **एग्री मार्केटिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर (ए.एम.आई.) उप-योजना:** ग्रामीण गोदामों और स्टोरेज सुविधाओं के विकास को सहायता प्रदान करती है, जिससे किसानों की उपज को संग्रहीत करने और बेहतर कीमतों पर बेचने की क्षमता में वृद्धि होती है।

- **10,000 एफ.पी.ओ. योजना का गठन और संवर्धन:** एफ.पी.ओ. को राष्ट्रीय कृषि बाजार (ई-नाम), डिजिटल कॉमर्स के लिए खुला नेटवर्क, सरकारी ई-मार्केटप्लेस (जेम) और फिजिकल इन्फ्रास्ट्रक्चर जैसे डिजिटल प्लेटफार्मों के माध्यम से मार्केट लिंकेज के साथ समर्थन दिया जा रहा है ताकि एग्रीगेटर के रूप में कार्य किया जा सके, मजबूरन बिक्री को कम किया जा सके और सौदेबाजी की क्षमता में सुधार किया जा सके।
- **ई-नाम एकीकरण:** राष्ट्रीय कृषि बाजार (ई-नाम) प्लेटफॉर्म राज्यों के ए.पी.एम.सी. को जोड़ता है**,** जिससे किसानों को व्यापक बाजारों तक पहुंच और बेहतर मूल्य प्राप्त होता है।
- **परंपरागत कृषि विकास योजना (पी.के.वी.वाई.) -** सरकार, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (पीएम-आरकेवीवाई) के एक घटक, परंपरागत कृषि विकास योजना (पी.के.वी.वाई.) के माध्यम से पंजाब राज्य सहित देश भर में जैविक खेती को बढ़ावा दे रही है। पी.के.वी.वाई. योजना जैविक खेती करने वाले किसानों को क्लस्टर आधारित दृष्टिकोण से प्रोडक्शन से लेकर प्रोसेसिंग, सर्टिफिकेशन और मार्केटिंग तक, संपूर्ण सहायता प्रदान करती है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य ऐसे क्लस्टरों में ओर्गेनिक क्लस्टर बनाना है जहाँ छोटे और सीमांत किसानों को प्राथमिकता दी जाती है।

*****